माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर के न्यायालय में

भगवान पिता हीरालाल (जनक पिता अंबाराम)
निवासी– ग्राम अर्जुन बरौदा तहसील सांवेर जिला इंदौर। ––प्रार्थी

विरुद्ध PBR/[illegible]/इंदौर/[illegible]/2018/0533

बद्रीलाल पिता हीरालाल (जनक पिता अंबाराम)
निवासी– ग्राम अजनोद तहसील सांवेर जिला इंदौर ––– प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा ५० म०प्र०भू–राजस्व संहिता १९५९

श्रीमान् अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के द्वारा प्रकरण क्र. 498/अपील/16.17 में दिनांक 10/01/2018 को पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रार्थी के द्वारा एक निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है:–

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भू.रा./2018/0553

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-7-2018	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा दिनांक 10-1-18 को आदेश पारित कर स्थगन नहीं बढ़ाये जाने के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । प्रकरण अपर आयुक्त के न्यायालय में अन्तिम तर्क हेतु नियत है । अत: इस निगरानी का अन्तिम निराकरण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि उभय पक्ष आगामी तीन माह तक प्रकरण में यथास्थिति बनाए रखेंगे तथा अपर आयुक्त तीन माह में प्रकरण का अन्तिम निराकरण करेंगे । अध्यक्ष	